न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:–36 / 2019 तारीख रजू:–09.09.2019

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2019 / 00075

पीठासीन अधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. गब्बर पुत्र बटे सिंह, निवासी चौथ का बरवाड़ा
2. हरेश पुत्र बटे सिंह, निवासी चौथ का बरवाड़ा
3. आकाश पुत्र बटे सिंह, निवासी चौथ का बरवाड़ा
4. वीरू पुत्र बटे सिंह, निवासी चौथ का बरवाड़ा
5. सीमा पुत्री बटे सिंह, निवासी चौथ का बरवाड़ा
6. मीना पुत्री बटे सिंह, निवासी चौथ का बरवाड़ा
7. कान्ती पुत्री बटे सिंह, निवासी चौथ का बरवाड़ा
8. सनाकि पत्नि बटे सिंह, निवासी चौथ का बरवाड़ा
9. लंकेश पत्नि मुकेश, निवासी चौथ का बरवाड़ा

   उपरोक्त 1 लगायत 9 जरिये बटे सिंह मुख्तयारआम गब्बर पुत्र बटे सिंह निवासी चौथ का बरवाड़ा

10. अनिता पुत्री धापूडया, निवासी चौथ का बरवाड़ा
11. लखन लाल पुत्र धापूडया, निवासी चौथ का बरवाड़ा
12. नेहरू पुत्र धापूडया, निवासी चौथ का बरवाड़ा
13. राजेश पुत्र धापूडया, निवासी चौथ का बरवाड़ा (फोत)

    13 / 1. गीता पत्नि राजेश

    13 / 2. अजय पुत्र राजेश

    13 / 3. विक्की पुत्र राजेश

    13 / 4. राज पुत्र राजेश

    13 / 5. सुनेना पुत्री राजेश

    13 / 6. नेना पुत्री राजेश

    13 / 7. निलोफर पुत्री राजेश

    13 / 8. राजनन्दनी पुत्री राजेश

    13 / 9. तानिया पुत्री राजेश

    निवासीयान चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

14. गौतम पुत्र मुकेश नाबालिग बबिलायत माता संरक्षक लंकेश पत्नि मुकेश, निवासी चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:01 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण

बनाम

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

1. करबो देवी पत्नि मूलचंद कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
2. अमन पुत्र मूलचंद कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
3. खुशबू देवी पत्नि स्व0 मूलचंद कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
4. ज्योति पुत्री मूलचंद कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
5. दिलीप पुत्र मूलचंद कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
6. प्रिति पुत्री मूलचंद कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
7. सोनू पुत्र मूलचंद कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
8. कमोद पत्नि मोहन कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
9. चंदन पुत्र मोहन कंजर नाबालिग बबिलायत माता संरक्षक कमोद पत्नि मोहन कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
10. मनभर पुत्री जाजम, निवासी चौथ का बरवाड़ा
11. पप्पूड़ी पुत्री जाजम, निवासी चौथ का बरवाड़ा
12. शरीफन पत्नि तहसील्या, निवासी चौथ का बरवाड़ा
13. पंजाब पत्नि अम्बा लाल कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
14. प्रियंका पुत्री मोहन कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
15. बदाम पत्नि बटनया कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
16. बरखा पुत्री बटनया कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
17. राजू पुत्र अम्बा लाल कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
18. विकास पुत्र मोहन कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
19. सुमेरू पुत्र अम्बा लाल कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
20. सावित्री पुत्री बटनया कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
21. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

—प्रतिवादीगण

उपस्थित—

वकील वादीगणः—श्री अजय शेखर दवे, एडवोकेट

वकील प्रतिवादी संख्या 1, 5 व 7:— श्री अब्दुल वहाब एडवोकेट

वकील प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4, 6, 8 लगायत 20:— एकपक्षीय कार्यवाही

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती इंद्राजात, खातेदारी एवं नक्शा ट्रेस एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:01 IST
Reason: SelfAttested

—निर्णय—

निर्णय दिनांकः—30.03.2026

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

- ❖ वादीगण की ग्राम चौथ का बरवाड़ा में संयुक्त कब्जेकाश्त व खातेदारी के खेत खसरा नंबर 609 रकबा 1.10 है0 स्थित है।
- ❖ खेत खसरा नंबर 609 का साबिक खसरा नंबर 220 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा अंकिता था, इसमें 0.15 है0 भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहित करने से वर्तमान रकबा 1.10 है0 रह गया, जो वादीगण के कब्जे काश्त में है तथा उसका नियमित लगान दिया जा रहा है।
- ❖ भूप्रबंधन विभाग द्वारा वादीगण की भूमी का क्षेत्रफल वास्तविक रकबे से कम अंकित किया है जिससे नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकॉर्ड के वास्तविक रकबे में बडा अन्तर आ गया। वादीगण का खेत नक्शे में 0.45 है० अंकित है जबकि उसका वास्तविक रकबा 1.10 है० अंकित किया जाना चाहिए।
- ❖ उक्त वादी के खेत से कम किये रकबे को अन्य पडोसी व विपक्षीगण के खेतों में गलत तरमीम करके बढाकर अंकित कर दिया जिससे वास्तविक क्षेत्रफल व नक्शे में अंकित क्षेत्रफल मेल नहीं खाते।
- ❖ विपक्षीगण के खेत साबिक खसरा नं. 219 से बने है जिनके हाल खसरा नं. 605, 606, 5313/605, 5314/605 व 5315/606 बनाये गये है। इसी तरह विपक्षीगण के साबिक खसरा नं. 200/2772 रकबा 11 बिसवा से हाल नं. 220/2772 बनाया गया है।
- ❖ नक्शा ड्रेस में गलत तरमीम करने से वादीगण के खेत का क्षेत्रफल विपक्षीगण के खेतो के मुकाबले काफी छोटा हो गया जिससे वादीगण के खेतो की वास्तविक सीमाओं को लेकर उभयपक्षों पक्षों के मध्य विवाद की स्थिति बन रही है। इसके विपरित विपक्षीगण इस गलती का अनुचित लाभ उठाते हुए गलत तरमीम की हुई भूमी को बेचने व जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे है।
- ❖ वादीगण की भूमी का वास्तविक रकबा 1.10 है0 है गलत तरमीम से ये घटकर मात्र 0.45 है० का रकबा रह गया जबकि विपक्षीगण के खेतो का रकबा वादीगण के खेतो से आधा है लेकिन गलत तरमीम से यह बढकर करीब 1.20 है० का बडा रकबा अंकित किया गया है।
- ❖ इस तरमीम में लापरवाही व उपेक्षा क[illegible]य महत्वपूर्ण त्रुटी मौके पर मोजुद सडक खसरा न. 5313/605 [illegible] की गई है मौके पर उक्त सडक वादीगण के खेतों के आगे हे जि[illegible]आक्षेपित तरमीम में वादीगण के खेत के पीछे अकित किया गया है। इसी तरह खसरा नं. 609/5225 रकबा 12 ऐयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

की तरमीम वादीगण के खेत के अगले हिस्से में गलत ढंग से अंकित की गई है। उक्त खेत विपक्षी नं. आठ लगायत उन्नीस का है जिनका खेत मौके पर अलग के स्थित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त खेत का मूल खसरा नं. 609 मानकर 609/5225 की तरमीम की गई है जबकि 609 नं. वादीगण के खातेदारी का है जिसमें विपक्षीगण का कोई वास्ता नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:01 IST
Reason: SelfAttested

❖ विपक्षीगण अभिलेख की वास्तविक स्थिति से अवगत है तो भी से इस गलत तरमीम का गलत लाभ उठाने की योजना बना रहे है। दिनांक 25.04.2019 को विपक्षीयान एक लगायत सात वादीगण के खेतों पे आये और ऊतरी छोर पर नापचोप करने लगे। बादी गब्बर, लखन आदि ने उन्हें टोका तो उन्होंने एलानिया कहा की नक्शे में यह खेत उनकी खातेदारी में अंकित है इसलिए इन खेतों पर जबरन डोल डालकर कब्जा करेंगे या इसका बेचान कर देंगे।

❖ वादीगण को अधिकार हासिल है कि वे अपनी खातेदारी के खेत खसरा नं. 609 रबका 1.10 है0 की राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे में हुई गलती को दुरूस्त करवाकर वास्तवित क्षेत्रफल का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में करवाये तथा विपक्षीगण को इस गलती का अनुचित लाभ नहीं लेने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये।

❖ वादी नं. एक गब्बर सिंह बहैसियत मुख्तयारआम वादी नं. एक लगायत नौ की ओर से वाद प्रस्तुत कर रहा है। मुख्तयारनामे की प्रतिलिपि संलग्न वादपत्र है।

❖ विनायदावा दिनांक 25.04.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा गलत तरमीम का लाभलेने की तैयारी करने से पैदा हुआ। अतः यही वाद करने का कारण बनने से यह दावा पेश किया जा रहा है।

❖ अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र निम्न अनुतोष के साथ डिग्री फरमाने की कृपा करे :-

- वादीगण का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् उद्‌घोषणा इस आशय की जारी करे की खसरा नं. 609 रकबा 1.10 है0 के वादीगण खातेदार काश्तकार है।

- खसरा नं. 609 रकबा 1.10 है0 में अनाधिकृत तरीके से की गई तरमीम को हटाते हुए वादीगण के वास्तवित क्षेत्रफल के अनुरूप नक्शे में तरमीम उठाई जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ सत्यमेव जयते ★ चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

- प्रतिवादी नं. एक लगायत सात को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये की वे खेत खसरा नं. 609 रकबा 1.10 है0 के किसी भी भूभाग पर न तो कोई कब्जा करे और न ही वादीगण के कब्जेकाश्त में कोई बाधा डाले तथा गलत तरमीम की आड में उक्त भूभाग को कही रहन या विक्रय भी नही करे।

- दौरानेदावा यदि विपक्षीगण खसरा नं. 609 के किसी भी हिस्से को हथियाने या बेचने में सफल हो जाये तो विपक्षीगण को बेदखल कर कब्जा मयमिनप्रोफिट के वादीगण को दिलाया जाये।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम प्रतिवादीगण जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया गया।

3. प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4, 6, 8 लगायत 20 के बावजूद तामील अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध दिनांक 27.05.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. वकील प्रतिवादी संख्या 1, 5 व 7 ने अपना जवाब पेश किया है कि–

➢ वादीगण ने यह वादपत्र मिन प्रतिवादीगण को हैरान परेशान करने एवं दबाव नाजायज डालकर फायदा उठाने की गरज से प्रस्तुत किया है जो निरस्त होने योग्य है।

➢ आराजी खसरा नं. 605 रकबा 0.04 है० खसरा नं. 606 रकबा 0.21 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.25 है० वाके ग्राम चौथ का बरवाडा जो कि संतरी पुत्र मथुरा कंजर निवासी चौथ का बरवाडा की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि थी को प्रतिवादीया नं. 1 कस्बो देवी ने दिनांक 19.08.2014 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की जिसके आधार पर प्रतिवादिया कस्बो देवी के नाम नामान्तरकरण तस्दीक होकर खातेदारी इन्द्राजात हो गए और प्रतिवादिया अपनी खरीदशुदा उक्त भूमि पर खरीद करने के पश्चात से निरन्तर अपने उपयोग व उपभोग में लेती चली आ रही है। जिससे वादीगण को कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं है।

➢ प्रतिवादिया नं. 1 कस्बो देवी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नं. 605 व 606 का नक्शा ट्रेस उतना ही है जितना उनका रकबा है लेकिन वादीगण एक गिरोहबन्द व्यक्ति है जो मिन प्रतिवादिया की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है जबकि ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

➢ खसरा नं. 5314/605 व 5315/606 मृतक मूलचन्द के वारिसान प्रतिवादी नं. 1 लगायत 7 की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जिस पर मिन प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर अपने उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे है और मिन प्रतिवादीगण की उक्त भूमि का भी उतना ही नक्शा ट्रेस है जितना उनका रकबा है। इसलिए वादीगण का कथन झूठा एवं मनगढन्त है यदि वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जाता है तो सम्पूर्ण गांव का ही नक्शा ट्रेस प्रभावित होगा इसलिए वादीगण का वादपत्र निरस्त होने योग्य है।

➢ वादीगण ने अपनी खातेदारी भूमि में सडक निकलना अंकित कर सडक का खसरा नं. 5295/609 बनना बताया गया है जिसका मुआवजा भी वादीगण ने ही प्राप्त किया है लेकिन वादीगण ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को पक्षकार नही बनाया है जबकि वह आवश्यक पक्षकार है इसलिए पक्षकार बनाये बिना वादपत्र चलने योग्य नहीं होकर खारिज होने योग्य है।

➢ मिन प्रतिवादीगण दावान्तर्गत भूमि खसरा नं. 605, 606, 5314/605 एवं 5315/606 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके विरूद्ध वादीगण को कोई अनुतोष प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है और न ही उनको जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त है। इसलिए वादीगण का वादपत्र निरस्त होने योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

➢ अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण मय खर्चे के खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

5. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पत्रांक भू0अ0/2194 दिनांक 23.11.2021 द्वारा रिपोर्ट इस न्यायालय में रिपोर्ट पेश की है कि–

- हाल खसरा नंबर 609 रकबा 1.10 है0 व 5295/609 रकबा 0.15 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.25 है0 साबिक खसरा नंबर 220 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा से बना है।

- मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम चौथ का बरवाड़ा के खसरा नंबर 609 वादीगण की खातेदारी में दर्ज है, तथा खसरा नंबर 5295/609 गै0मु0 पी0डब्ल्यू0डी0 के नाम दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:01 IST
Reason: SelfAttested

- नक्शाशीट में खसरा नंबर 609 का रकबा [illegible] करने पर रकबा 0.45 है0 बैठता है, जबकि वास्तविक रकबा 1.10 है0 मुताबिक जमाबंदी के दर्ज है, जो मूल रकबे से 0.65 है0 कम है।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

- खसरा नंबर 609 से लगता हुआ खसरा नंबर 610 रकबा 0.20 है0 है, जो वादीगणों की खातेदारी है। खसरा नंबर 5296/610 रकबा 0.05 है0 गै0मु0 सड़क पी0डब्ल्यू0डी0 के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नंबर 610 का साबिक नक्शा शीट में रकबा बरारी करने पर इसका रकबा 0.27 है0 बैठता है, जो जमाबंदी की तुलना में 0.07 है0 ज्यादा है।

- साबिक खसरा नंबर 219 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा है, जिसके हाल खसरा नंबर 605 रकबा 0.25 है0, 606 रकबा 0.42 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.67 है0 बने हैं। इस खसरा नंबरान की रकबा बरारी करने पर इसका रकबा 1.25 है0 बैठता है, जो जमाबंदी के अनुसार रकबा से 0.58 है0 अधिक है। इसमें खसरा नंबर 5313/605 रकबा 0.17 है0 गै0मु0 सड़क पी0डब्ल्यू0डी0 के नाम दर्ज है। तत्समय खसरा नंबर 605, 606 का तकासमा होने से खसरा नंबर 5314/605 रकबा 0.04 है0 व 5315/606 रकबा 0.21 है0 दिलीप, सोनू, अमन पि0 मूलचन्द, प्रिति, ज्योति पुत्रियां मूलचन्द, खुशबू देवी पत्नि स्व0 मूलचंद कंजर के नाम दर्ज है।

- पी0डब्ल्यू0डी0 के नाम से खसरा नंबर 5313/605 रकबा 0.17 है0 की तरमीम खसरा नंबर 605 में की गई है, जो सड़क से दूर है, जबकि सड़क से लगता हुआ खसरा नंबर 606 है। जमाबंदी संवत् 2025-28 में नामान्तरकरण संख्या 479 से भंवरया पुत्र अनारया कंजर को खसरा नंबर 200/2772 के बजाय 220/2772 दर्ज हो जाने से भू-प्रबंध विभाग द्वारा 220/2772 के नये खसरा नंबर 609/5225 बनाये, जिसकी तरमीम नक्शे में 609 के पास कर दी गई। खसरा नंबर 609/5225 की तरमीम गलत की गई है। साबिक खसरा नंबर 220/2772 राजस्व रिकॉर्ड में नहीं था। साबिक खसरा नंबर 200/2772 था।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

- साबिक खसरा नंबर 221 के नये खसरा नंबर 610 में से 0.07 है0 व साबिक खसरा नंबर 219 के नये खसरा नंबर 605, 606 तकासमा तरमीम से पूर्व में से 0.58 है0 रकबा, खसरा नंबर 609 जिसके साबिक खसरा नंबर 220 में शामिल करते हुए खसरा नंबर 609 का रकबा पूर्ण किया जाना, खसरा नंबर 609/5225 रकबा 0.12 है0 की तरमीम खसरा नंबर 575 पर किया जाना तथा खसरा नंबर 5313/605 रकबा 0.17 है0 की तरमीम सड़क से लगती हुई किया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:01 IST
Reason: SelfAttested

6. वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं वकील प्रतिवादी संख्या 1, 5 व 7 द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की जाकर विवेचित की गई-

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

I. क्या घोषणा इस आशय की की जाये कि वादीगण खसरा नंबर 609 रकबा 1.10 है0 के खातेदार काश्तकार है ?

—वादीगण

II. क्या खसरा नंबर 609 रकबा 1.10 है0 का नक्शे में रकबा 0.45 है0 ही है ? रकबा कम होने की स्थिति में क्या खसरा नंबर 609 के नंबरों में रकबे की कमीपूर्ति प्रतिवादीगण के साबिक खसरा नंबर से बने हाल खसरा नंबर 605, 606, 5313/605, 5314/605, 5315/606 अथवा प्रतिवादीगण के अन्य खसरा नंबरों का नक्शा कम करते हुए की जाये ?

—वादीगण

III. टाया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस अमर पाबंद कराने के अधिकारी हैं कि वे खसरा नंबर 609 रकबा 1.10 है0 के किसी भू–भाग पर न तो कब्जा करे और न ही वादीगण के कब्जेकाश्त में कोई बाधा डाले तथा गलत तरमीम की आड़ में उक्त भू–भाग का रहन या विक्रय नहीं करे ?

—वादीगण

IV. आया वादीगण ने अपनी खातेदारी भूमि में सड़क निकलना अंकित कर खसरा नंबर 5295/609 बनना बताया है, जिसका मुआवजा भी वादीगण ने ही प्राप्त किया है, लेकिन वादीगण ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को पक्षकार नहीं बनाया है, इसलिये वादपत्र खारिज योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

—प्रतिवादी संख्या 1, 5 व 7

V. अन्य अनुतोष जो भी हो।

7. वकील वादीगण ने साक्ष्य के समर्थन में निम्नानुसार मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये—

- पी0डब्ल्यू0—01:— गब्बर पुत्र बटे सिंह कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- प्रदर्श—01:— जमाबंदी संवत् 2074—2077 वाके ग्राम चौथ का बरवाड़ा
- प्रदर्श—02:— जमाबंदी संवत् 2074—2077 खाता संख्या 471 वाके ग्राम चौथ का बरवाड़ा।
- प्रदर्श—03:— मिलान क्षेत्रफल वाके ग्राम चौथ का बरवाड़ा
- प्रदर्श—04:— जमाबंदी संवत् 2025—2028 वाके ग्राम चौथ का बरवाड़ा
- प्रदर्श—05:— जमाबंदी वाके ग्राम चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

- <u>प्रदर्श–06</u>:– जमाबंदी संवत् 2037–2041 वाके ग्राम चौथ का बरवाड़ा
- <u>प्रदर्श–07</u>:– जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता संख्या 186 वाके ग्राम चौथ का बरवाड़ा।
- <u>प्रदर्श–08</u>:– जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता संख्या 723 वाके ग्राम चौथ का बरवाड़ा।
- <u>प्रदर्श–09</u>:– जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता संख्या 723 वाके ग्राम चौथ का बरवाड़ा।
- <u>प्रदर्श–10</u>:– नक्शा ट्रेस
- <u>प्रदर्श–11</u>:– किस्तवार नक्शा सन् 1991, 1992
- <u>प्रदर्श–12</u>:– नक्शा

8. वकील प्रतिवादी संख्या 1, 5 व 7 ने निम्नलिखित मौखिक साक्ष्य पेश किया है–

   - <u>डी0डब्ल्यू–01</u>:– सोनू पुत्र मूलचंद कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा।

9. वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 1, 5 व 7 की बहस सुनी गई, जिसमें उनके द्वारा दौराने बहस वादपत्र एवं प्रस्तुत जवाब में अंकित कथनों का दोहरान किया।

10. मैंने वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 1, 5 व 7 की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

11. वकील वादीगण का कथन है कि उनकी खातेदारी के खेत खसरा नं. 609 रकबा 1.10 है0 की राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे में हुई गलती को दुरूस्त करवाकर वास्तवित क्षेत्रफल का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में करवाया जाये एवं विपक्षीगण को इस गलती का अनुचित लाभ नहीं लेने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जाये। वकील प्रतिवादी संख्या 1, 5 व 7 ने कथन किया है कि वादीगण ने अपनी खातेदारी भूमि में सड़क निकलना अंकित कर खसरा नंबर 5295/609 बनना बताया है, जिसका मुआवजा भी वादीगण ने ही प्राप्त किया है, लेकिन वादीगण ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को पक्षकार नहीं बनाया है, इसलिये वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

12. जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 813 के खसरा नंबर 609 रकबा 1.10 है0 एवं खसरा नंबर 610 रकबा 0.20 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.30 है0 के वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार है। मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–03) एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट से खसरा नंबर 609 रकबा 1.10 है0 में से 5295/609 रकबा 0.15 है0 के साबिक खसरा नंबर 220 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा से बने होने की पुष्टि होती है। साथ ही तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि पी0डब्ल्यू0डी0 के नाम से खसरा नंबर 5313/605 रकबा 0.17 है0 की तरमीम खसरा नंबर 605 में की गई है, जो सड़क

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:01 IST
Reason: SelfAttested

से दूर है, जबकि सड़क से लगता हुआ खसरा नंबर 606 है। जमाबंदी संवत् 2025–28 में नामान्तरकरण संख्या 479 से भंवरया पुत्र अनारया कंजर को खसरा नंबर 200/2772 के बजाय 220/2772 दर्ज हो जाने से भू–प्रबंध विभाग द्वारा 220/2772 के नये खसरा नंबर 609/5225 बनाये, जिसकी तरमीम नक्शे में 609 के पास कर दी गई। खसरा नंबर 609/5225 की तरमीम गलत की गई है। साबिक खसरा नंबर 220/2772 राजस्व रिकॉर्ड में नहीं था। साबिक खसरा नंबर 200/2772 था। साबिक खसरा नंबर 221 के नये खसरा नंबर 610 में से 0.07 है0 व साबिक खसरा नंबर 219 के नये खसरा नंबर 605, 606 तकासमा तरमीम से पूर्व में से 0.58 है0 रकबा, खसरा नंबर 609 जिसके साबिक खसरा नंबर 220 में शामिल करते हुए खसरा नंबर 609 का रकबा पूर्ण किया जाना, खसरा नंबर 609/5225 रकबा 0.12 है0 की तरमीम खसरा नंबर 575 पर किया जाना तथा खसरा नंबर 5313/605 रकबा 0.17 है0 की तरमीम सड़क से लगती हुई किये जाने की अभिशंषा की है।

13. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

—:आदेश:—

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वादीगण को ग्राम चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर स्थित खसरा नंबर 609 रकबा 1.10 एवं 609/5225 रकबा 0.12 का खातेदार का खातेदार घोषित किया जाता है। खसरा नंबर 609/5225 रकबा 0.12 है0 से प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाता है। खसरा नंबर 5313/605 की तरमीम खसरा नंबर 606 व खसरा नंबर 5315/606 की उत्तरी दिशा में सड़क से लगते हुए की जावे। खसरा नंबर 5295/609 की तरमीम खसरा नंबर 608 से लगते हुए की जावे व खसरा नंबर 609/5225 की तरमीम खसरा नंबर 609 से लगते हुए 0.12 है0 से एवं खसरा नंबर 610 में से 0.07 है0 से की जावे। शेष 0.46 है0 की पूर्ति साबिक खसरा नंबर 219 से बने खसरा नंबर 605 व 606 कुल रकबा 0.67, जो रकबा बरारी करने पर 1.25 है0 है, जो कुल रकबे से 0.58 है अधिक है, जिसमें से खसरा नंबर 609 व 609/5225 की पश्चिमी दिशा से लगते हुए तरमीम की जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 609 रकबा 1.10 एवं खसरा नंबर 609/5225 रकबा 0.12 है0 के किसी भी भू–भाग पर वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय [illegible] 2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:01 IST
Reason: SelfAttested

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय <u>उपखण्ड अधिकारी</u> स्थान <u>चौथ का बरवाडा</u>

1. गब्बर पुत्र बटे सिंह, निवासी चौथ का बरवाड़ा
2. हरेश पुत्र बटे सिंह, निवासी चौथ का बरवाड़ा
3. आकाश पुत्र बटे सिंह, निवासी चौथ का बरवाड़ा
4. वीरू पुत्र बटे सिंह, निवासी चौथ का बरवाड़ा
5. सीमा पुत्री बटे सिंह, निवासी चौथ का बरवाड़ा
6. मीना पुत्री बटे सिंह, निवासी चौथ का बरवाड़ा
7. कान्ती पुत्री बटे सिंह, निवासी चौथ का बरवाड़ा
8. सनाकि पत्नि बटे सिंह, निवासी चौथ का बरवाड़ा
9. लंकेश पत्नि मुकेश, निवासी चौथ का बरवाड़ा

उपरोक्त 1 लगायत 9 जरिये बटे सिंह मुख्तयारआम गब्बर पुत्र बटे सिंह निवासी चौथ का बरवाड़ा

10. अनिता पुत्री धापूडया, निवासी चौथ का बरवाड़ा
11. लखन लाल पुत्र धापूडया, निवासी चौथ का बरवाड़ा
12. नेहरू पुत्र धापूडया, निवासी चौथ का बरवाड़ा
13. राजेश पुत्र धापूडया, निवासी चौथ का बरवाड़ा (फोत)
    - 13/1. गीता पत्नि राजेश
    - 13/2. अजय पुत्र राजेश
    - 13/3. विक्की पुत्र राजेश
    - 13/4. राज पुत्र राजेश
    - 13/5. सुनेना पुत्री राजेश
    - 13/6. नेना पुत्री राजेश
    - 13/7. निलोफर पुत्री राजेश
    - 13/8. राजनन्दनी पुत्री राजेश
    - 13/9. तानिया पुत्री राजेश

    निवासीयान चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
14. गौतम पुत्र मुकेश नाबालिग बबिलायत माता संरक्षक लंकेश पत्नि मुकेश, निवासी चौथ का बरवाड़ा

बनाम

1. कस्बो देवी पत्नि मूलचंद कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
2. अमन पुत्र मूलचंद कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
3. खुशबू देवी पत्नि स्व0 मूलचंद कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
4. ज्योति पुत्री मूलचंद कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
5. दिलीप पुत्र मूलचंद कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
6. प्रिति पुत्री मूलचंद कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
7. सोनू पुत्र मूलचंद कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
8. कमोद पत्नि मोहन कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
9. चंदन पुत्र मोहन कंजर नाबालिग बबिलायत माता संरक्षक कमोद पत्नि मोहन कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
10. मनभर पुत्री जाजम, निवासी चौथ का बरवाड़ा
11. पप्पूड़ी पुत्री जाजम, निवासी चौथ का बरवाड़ा
12. शरीफन पत्नि तहसील्या, निवासी चौथ का बरवाड़ा
13. पंजाब पत्नि अम्बा लाल कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
14. प्रियंका पुत्री मोहन कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
15. बदाम पत्नि बटनया कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
16. बरखा पुत्री बटनया कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
17. राजू पुत्र अम्बा लाल कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
18. विकास पुत्र मोहन कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
19. सुगेरू पुत्र अम्बा लाल कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
20. सावित्री पुत्री बटनया कंजर, निवासी चौथ का बरवाड़ा
21. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

नम्बर मुकदमा 36 सन् 2019

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती इंद्राजात, खातेदारी एवं नक्शा ट्रेस एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0 एक्ट

वादीगण की ओर से श्री अजय शेखर दवे, एडवोकेट एवं प्रतिवादी संख्या 01, 05 व 07 की ओर से श्री अब्दुल वहाब, एडवोकेट एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4, 6, 8 लगायत 20 की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 30.03.2026 को श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारें के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है कि वादीगण को ग्राम चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर स्थित खसरा नंबर 609 रकबा 1.10 एवं 609/5225 रकबा 0.12 का खातेदार का खातेदार घोषित किया जाता है। खसरा नंबर 609/5225 रकबा 0.12 है0 से प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाता है। खसरा नंबर 5313/605 की तरमीम खसरा नंबर 606 व खसरा नंबर 5315/606 की उत्तरी दिशा में सड़क से लगते हुए की जावे। खसरा नंबर 5295/609 की तरमीम खसरा नंबर 608 से लगते हुए की जावे व खसरा नंबर 609/5225 की तरमीम खसरा नंबर 609 से लगते हुए 0.12 है0 से एवं खसरा नंबर 610 में से 0.07 है0 से की जावे। शेष 0.46 है0 की पूर्ति साबिक खसरा नंबर 219 से बने खसरा नंबर 605 व 606 कुल रकबा 0.67, जो रकबा बरारी करने पर 1.25 है0 है, जो कुल रकबे से 0.58 है अधिक है, जिसमें से खसरा नंबर 609 व 609/5225 की पश्चिमी दिशा से लगते हुए तरमीम की जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 609 रकबा 1.10 एवं खसरा नंबर 609/5225 रकबा 0.12 है0 के किसी भी भू-भाग पर वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करे। पक्षकारान अपना खर्चा स्वयं वहन करे।

इस वाद के खर्चे लेखें X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 30.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्चे

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसें
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	00	00			
	जोड	00	00	जोड	00	00

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:01 IST
Reason: SelfAttested

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)